

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 नवम्बर 2012—कार्तिक 18, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2012

क्र. ई-5-485-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री के. पी. सिंह, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग को दिनांक 8 से 12 अक्टूबर 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12 एवं 13 अक्टूबर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री के. पी. सिंह की अवकाश की अवधि में श्री बी. आर. नायडू, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं

बाल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सार्वजनिक उपक्रम विभाग का कार्यभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. पी. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. आर. नायडू सार्वजनिक उपक्रम विभाग के कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2012

क्र. ई-5-370-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 12 से 24 नवम्बर 2012 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 एवं 25 नवम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी की अवकाश अवधि में श्री अन्टोनी जे.सी. डिसा, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा परिवहन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, गृह विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अन्टोनी जे. सी. डिसा, गृह विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इन्द्रनील शंकर दाणी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-823-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती शशि कर्णावत, आयएएस, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को दिनांक 15 से 23 अक्टूबर 2012 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशि कर्णावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती शशि कर्णावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शशि कर्णावत, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2012

क्र. ई-5-818-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री एन. एस. भटनागर, आयएएस, अपर आयुक्त (राजस्व) जबलपुर संभाग को दिनांक 15 से 26 अक्टूबर 2012 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14 एवं 27, 28, 29 अक्टूबर 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एन. एस. भटनागर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व) जबलपुर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एन. एस. भटनागर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. एस. भटनागर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-834-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रजनी उईके, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग को दिनांक 22 से 26 अक्टूबर 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रजनी उईके को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रजनी उईके को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रजनी उईके, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2012

क्र. ई. 5-817-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राहुल जैन, आयएएस., कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को दिनांक 1 से 7 नवम्बर 2012 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री राहुल जैन की अवकाश अवधि में श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत होशंगाबाद

को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला होशंगाबाद का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राहुल जैन द्वारा कलेक्टर, होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-886-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री गणेश शंकर मिश्रा, आयएस, अनुविभागीय अधिकारी, मुलताई जिला बैतूल को दिनांक 22 से 26 अक्टूबर 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20, 21 एवं 27, 28, 29 अक्टूबर 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री गणेश शंकर मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, मुलताई जिला बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री गणेश शंकर मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गणेश शंकर मिश्रा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

क्र. ई-5-547-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 सितम्बर 2012 द्वारा दिनांक 25 से 29 सितम्बर 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 26 से 28 सितम्बर 2012 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-547-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 15 से 19 अक्टूबर 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-910-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती शनमुगा प्रिया आर., आयएस., सहायक कलेक्टर, जिला सिंगरौली को दिनांक 19 से 26 अक्टूबर 2012 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 27, 28 एवं 29 अक्टूबर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शनमुगा प्रिया आर.को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला सिंगरौली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती शनमुगा प्रिया आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शनमुगा प्रिया आर. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2012

क्र. बी-1-90-2012-2-एक.—सुश्री अंजली सिंह ठाकुर (आर आर 2012), राप्रसे परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर, रायसेन ने आवेदन पत्र दिनांक 26 सितम्बर 2012 द्वारा विवाहोपरांत उप नाम श्रीमती अंजली शाह पत्नी श्री नीलमणि शाह परिवर्तित करने का अनुरोध किया है।

(2) राज्य शासन, एतद्द्वारा सुश्री अंजली सिंह ठाकुर, राप्रसे के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनका नाम सुश्री अंजली सिंह ठाकुर के स्थान पर श्रीमती अंजली शाह पत्नी श्री नीलमणि शाह परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(3) उपरोक्तानुसार उप नाम परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्रीमती अंजली शाह के सेवा अभिलेखों में की जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विद्या भोसले, अवर सचिव, 'कार्मिक'.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

एफ. क्र. 11-02-2010-सात-6.— भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11-4-2011-एम एण्ड जी दिनांक 20 सितम्बर, 2012 द्वारा संसूचित अनापत्ति अनुसरण में राज्य शासन एतद्द्वारा सीहोर जिले के बुदनी तहसील के ग्राम "सुड़ानिया" का नाम परिवर्तित कर "श्यामनगर" करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

क्र. एफ. 11-02-2010-सात-6.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 11-02-2010-सात-6, दिनांक 19 अक्टूबर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 19th October, 2012

F.No. 15-02-2010-Seven-6.— In pursuance of no objection conveyed by Govt. of India, Ministry of Home Affairs vide their letter No. 11-4-2011-M & G dated 20 September, 2012 the State Government hereby change the name of village of "SUDANIA" tahsil Budni, district Sehore as "SHYAMNAGAR" with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012

फा. क्र. 1-5-96-3108-2012-इक्कीस-ब(एक).— भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-5-96-21-ब (एक), दिनांक 12 अप्रैल, 2012 को जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 20 अप्रैल, 2012 को प्रकाशित हुई थी, को आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन अन्वेषण किये गए मामलों के विचारण के लिये, नीचे विनिर्दिष्ट किये गए राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में, नियुक्त करता है, जिनका मुख्यालय भोपाल होगा, अर्थात् :—

राजस्व जिले

(1) ग्वालियर (2) गुना (3) शिवपुरी (4) छतरपुर
(5) दतिया (6) अशोकनगर (7) भिण्ड.

F. No. 1-5-96-3108-2012-XXI-B (One).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) and in partial supersession of this Department's Notification F. No. 1-5-96-XXI-B (1), dated 12th April, 2012, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I dated 20th April, 2012, the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints Shri Manoj Kumar Shrivastava, IInd Additional Sessions Judge, Bhopal as a Special Judge with Head Quarter at Bhopal for the areas comprising of the revenue districts specified below to try the cases in regard to the offences specified in clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 3 of the said Act investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946), by the Delhi Police and Central Bureau of investigation, namely :—

Revenue Districts

(1) Gwalior (2) Guna (3) Shivpuri (4) Chhatarpur
(5) Datia (6) Ashoknagar (7) Bhind.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कै. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2012

फा. क्र. 1(बी)-8-2004-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2010 द्वारा नियुक्त श्री किशोर श्रीवास्तव, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, पन्ना के कार्यकाल दिनांक 23 अक्टूबर 2011 को समाप्त होने के पश्चात् उसे दिनांक 23 अक्टूबर 2011 से 22 अक्टूबर 2014 तक तीन वर्ष की अवधि हेतु पुर्ननियुक्त इस शर्त के अधीन किया जाता है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

(टीप.—श्री किशोर श्रीवास्तव की जन्म तिथि 27 अप्रैल 1969 सत्ताईस अप्रैल उन्नीस सौ उनहत्तर है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 27 अप्रैल 2031 सत्ताईस अप्रैल दो हजार इक्कतीस को पूर्ण होगी).

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2012

फा. क्र. 1(सी) 08-2012-एट्रोसिट-इक्कीस-ब(2)-शुद्धि-पत्र.— इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर 2012 जो “मध्यप्रदेश राजपत्र”, भाग-1, दिनांक 2 नवम्बर 2012 में पृष्ठ क्रमांक 3879 में प्रकाशित हुई है, में शब्द “श्री निदेश शर्मा” के स्थान पर शब्द “श्री दिनेश शर्मा” पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्र. एफ-1(ए) 190-91-ब-2-दो.—श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक विसबल, ग्वालियर को निजी कार्य हेतु

दिनांक 1 नवम्बर 2012 से 9 नवम्बर 2012 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश 10 एवं 11 नवम्बर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन, ग्वालियर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एम. अफजल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, द्वारा पुलिस महानिरीक्षक विसबल, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, (मध्यप्रदेश)

आदेश

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्र. एफ. 67-88-10-तीन-1799.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया

हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार महापौर का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम देवास जिला देवास के आम निर्वाचन में सुश्री शमीना सलीम, महापौर पद की अभ्यर्थी थीं। इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर दिनांक 14 जनवरी 2010 तक सुश्री शमीना सलीम को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, देवास के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के पत्र दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री शमीना सलीम द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री शमीना सलीम को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 4 फरवरी 2010 को जारी कर, कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, देवास के माध्यम से दिनांक 3 मार्च 2012 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में सुश्री शमीना सलीम से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

अभ्यर्थी सुश्री शमीना सलीम को नोटिस दिनांक 3 मार्च 2012 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 18 मार्च 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। आयोग द्वारा को सुश्री शमीना सलीम को नोटिस तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया। डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला देवास से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 31 मई 2012 के द्वारा लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री शमीना सलीम को आयोग द्वारा जारी किये गये नोटिस की तामीली उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक 31 मई 2012 तक उनके कार्यालय में लेखा अथवा विलंब से लेखा प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री शमीना सलीम को दिनांक 11 अक्टूबर 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग के कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी सुश्री शमीना सलीम आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं। अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया। अभ्यर्थी सुश्री शमीना सलीम को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 26 जून 2012 को तामीली तहसीलदार देवास के माध्यम से दिनांक 12 जुलाई 2012 को तामील कराई गई, लेकिन अभ्यर्थी उक्त दिवस को आयोग में उपस्थित नहीं हुईं। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री शमीना सलीम द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री शमीना सलीम को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम, देवास, जिला देवास का पार्षद या महापौर होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(ए. के. शर्मा)

प्रभारी सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्र. एफ. 67-114-10-तीन-1810.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए (नगर पंचायत) नगर परिषद् कुरवाई, जिला विदिशा के आम निर्वाचन में श्रीमती सलमा बेगम, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। (नगर पंचायत) नगर परिषद् कुरवाई जिला विदिशा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की

अंतिम तिथि 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, विदिशा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पत्र क्र. 565-स्था. निर्वा.-10, दिनांक 20 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सलमा बेगम द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती सलमा बेगम को कारण बताओ नोटिस दिनांक 7 मई 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, विदिशा के माध्यम से दिनांक 28 मई 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

श्रीमती सलमा बेगम को नोटिस दिनांक 28 मई 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 12 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। तामिली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 7 जून 2012 में लेख किया कि श्रीमती सलमा बेगम के द्वारा कारण बताओ नोटिस की तामिली पश्चात् कोई अभ्यावेदन आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। कलेक्टर विदिशा से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 19 जून, 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 20 सितम्बर, 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती सलमा बेगम को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा (नगर पंचायत) नगर परिषद्, कुरवाई, जिला विदिशा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(ए. के. शर्मा)

प्रभारी सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्र. एफ. 67-114-10-तीन-1811.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए (नगर पंचायत) नगर परिषद् कुरवाई, जिला विदिशा के आम निर्वाचन में श्रीमती सुनीता गोस्वामी, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं। (नगर पंचायत) नगर परिषद् कुरवाई जिला विदिशा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, विदिशा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पत्र क्र. 565-स्था. निर्वा.-10, दिनांक 20 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती सुनीता गोस्वामी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती सुनीता गोस्वामी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 7 मई 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, विदिशा के माध्यम से दिनांक 28 मई 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह

भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

श्रीमती सुनीता गोस्वामी को नोटिस दिनांक 28 मई 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 12 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। तामिली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 7 जून 2012 में लेख किया कि **श्रीमती सुनीता गोस्वामी** के द्वारा कारण बताओ नोटिस की तामिली पश्चात् कोई अभ्यावेदन आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। कलेक्टर विदिशा से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 19 जून, 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 20 सितम्बर, 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती सुनीता गोस्वामी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा (नगर पंचायत) नगर परिषद्, **कुरवाई, जिला विदिशा** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(ए. के. शर्मा)

प्रभारी सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी

मध्यप्रदेश भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2012

विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 6 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया-द्वितीय (पुस्तकों सहित-दाण्डिक मामलों में आदेश/ निर्णय का लिखा जाना) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

अनुक्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------------	---------------------------	--------------

उच्चस्तर भोपाल संभाग

1	श्री जे. विजय कुमार	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
2	सुश्री रूचिका चौहान	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
3	श्री विजय दत्ता बी.	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
4	श्री मोहित बुन्दस	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
5	श्री सौरभ कुमार सुमन	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
6	श्री अनुग्रह पा	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
7	सुश्री नेहा मारव्या	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
8	श्री हरजिन्दर सिंह	सहायक कलेक्टर
9	श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानि.	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)

होशंगाबाद संभाग

10	श्री कवीन्द्र नाथ राय	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
11	श्री विजय सिंह सराटिया	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

उज्जैन संभाग

12	श्री अभिषेक गेहलोत	डिप्टी कलेक्टर
13	श्री श्यामेन्द्र जायसवाल	डिप्टी कलेक्टर

सागर संभाग

14	श्री चन्द्र प्रकाश पटेल	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
15	कु. सपना स्मृति खेमरिया	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
16	श्री रोशन राय	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
17	श्री दिलीप कुमार चौरसिया.	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
18	श्री शैवाल सिंह	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
19	श्रीमती वर्षा शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

ग्वालियर संभाग

20	कु. दिव्या अवस्थी	डिप्टी कलेक्टर
21	कु. शिखा पोरस	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)

क्र. 8298-3470-अका-विपप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
22	कु. पूनम सिंह	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख. (सश्रेय)	55	श्री प्रदीप शिंगुल	राजस्व निरीक्षक
23	कु. ज्योति ठोके	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	56	श्री श्रीकान्त सारोलकर	राजस्व निरीक्षक
24	कु. स्मिता कुमारी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	57	श्री संतोष कुमार शौनकिया	राजस्व निरीक्षक
25	श्री विवेक कुमार शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	58	श्री नंद किशोर मालवीय	राजस्व निरीक्षक
26	श्री दिपक कुमार अवस्थी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	रीवा संभाग		
27	श्री ललित कुमार ग्वालवंशी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख. (सश्रेय)	59	श्री नीलाम्बर मिश्र	डिप्टी कलेक्टर
28	श्री मोहन लाल वर्मा	राजस्व निरीक्षक	60	श्री राजीव कुमार पाण्डेय	नायब तहसीलदार
जबलपुर संभाग			61	श्री आशीष अग्रवाल	नायब तहसीलदार
29	श्री नमःशिवाय अरजरिया	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)	शहडोल संभाग		
30	कु. रंजना पाटने	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)	62	श्री नीलमणि अग्निहोत्री	डिप्टी कलेक्टर
31	श्री ऋषि पंवार	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)	63	श्री हेमन्त सिंह वरकड़े	राजस्व निरीक्षक
32	कु. साधना सिंह सिंगराम	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)	64	श्री लालमणि प्रजापति	राजस्व निरीक्षक
33	श्री गणेश कुमार जायसवाल	डिप्टी कलेक्टर	65	श्री विश्वम्भर सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक
34	कु. सुलेखा ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर	66	श्री संतोष कुमार चौधरी	राजस्व निरीक्षक
35	श्री चंद्र प्रताप गोहल	डिप्टी कलेक्टर	निम्नस्तर		
36	श्री पंकज नयन तिवारी	नायब तहसीलदार	भोपाल संभाग		
37	श्री गौरव कुमार पाण्डेय	नायब तहसीलदार	1	श्रीमती नेहा जैन	नायब तहसीलदार
38	श्री श्याम नन्दन चन्देल	नायब तहसीलदार	2	श्रीमती प्रेमलता पाल	नायब तहसीलदार
39	श्रीमती रीति सोनवे नाग	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	3	श्री सानत राव देशमुख	नायब तहसीलदार
40	श्री सहदेव सिंह मार्को	राजस्व निरीक्षक	4	श्रीमती रितु भार्गव	नायब तहसीलदार
41	श्री मनीराम आर्मो	राजस्व निरीक्षक	5	श्री सुधाकर प्रसाद तिवारी	नायब तहसीलदार
इन्दौर संभाग			6	श्रीमती सविता पटेल	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
42	श्री शाश्वत सिंह मीना	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)	7	श्री अरविन्द कुमार गुप्ता	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
43	श्री अरविन्द चौहान	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)	8	श्री हेमराज मैहर	राजस्व निरीक्षक
44	श्री अनुकूल जैन	डिप्टी कलेक्टर	9	श्री शरीफ अहमद	राजस्व निरीक्षक
45	श्री विजय तलवारे	नायब तहसीलदार	10	श्री राधेश्याम राठौर	राजस्व निरीक्षक
46	श्री महेश सिंह सोलंकी	नायब तहसीलदार	11	श्री राजेश कुमार धाड़से	राजस्व निरीक्षक
47	श्री राकेश सस्तियां	नायब तहसीलदार	होशंगाबाद संभाग		
48	श्री प्रकाश परिहार	नायब तहसीलदार	12	श्री श्याम कुमार खरे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
49	श्रीमती मधु नायक	नायब तहसीलदार	उज्जैन संभाग		
50	कु. रेशम गवली	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख. (सश्रेय)	13	श्री प्रभुदयाल गुप्ता	राजस्व निरीक्षक
51	कु. श्वेता जमरा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख. (सश्रेय)	14	श्री रूपसिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक
52	श्री लोकेश आहुजा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	15	श्री जगत सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
53	श्री मुकेश मालवीय	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	सागर संभाग		
54	श्री राधेश्याम धाकड़	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	16	श्री हरिशंकर नामदेव	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
			17	श्री परमाल सिंह कैन	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

(1)	(2)	(3)
18	श्रीमती इन्दु गौड़	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

ग्वालियर संभाग

19	श्री मुकेश कुमार शर्मा	डिप्टी कलेक्टर
20	कु. नेहा शिवहरे	डिप्टी कलेक्टर
21	श्री बाबू खां पठान	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
22	श्री शोभाराम कुशवाह	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
23	श्री कैलाश बाबू श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
24	श्री श्याम सुन्दर सिंह सराटिया.	राजस्व निरीक्षक
25	श्री ए. के. सिंह	राजस्व निरीक्षक
26	श्री शशिकान्त गुप्ता	राजस्व निरीक्षक
27	श्री रामदीन सिंह सेमिल	राजस्व निरीक्षक
28	श्री सुरेन्द्र सिंह राजौरिया	राजस्व निरीक्षक
29	श्री बलवीर सिंह भदौरिया	राजस्व निरीक्षक
30	श्री मुन्नालाल जमोरिया	राजस्व निरीक्षक
31	श्री लाल बहादुर शर्मा	राजस्व निरीक्षक
32	श्री प्रताप सिंह पटेलिया	राजस्व निरीक्षक

जबलपुर संभाग

33	श्री हीरालाल तिवारी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
34	श्री धर्मराज तुरकर	राजस्व निरीक्षक
35	श्री रामलोचन तिवारी	राजस्व निरीक्षक
36	श्री दशमंता मरावी	राजस्व निरीक्षक
37	श्री तेजीलाल उईके	राजस्व निरीक्षक
38	श्री पुन्नूलाल साण्ड्या	राजस्व निरीक्षक
39	श्री पोहपसिंह टेकाम	राजस्व निरीक्षक
40	श्री सुन्दरलाल यादव	राजस्व निरीक्षक
41	श्री चेताराम पन्था	राजस्व निरीक्षक
42	श्री मनोज कुमार नामदेव	राजस्व निरीक्षक
43	श्री राम प्रताप सिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक
44	श्री श्यामलाल धानक	राजस्व निरीक्षक
45	श्री मोतीलाल डेहरिया	राजस्व निरीक्षक
46	श्री सुखलाल डेहरिया	राजस्व निरीक्षक

इन्दौर संभाग

47	श्री हरिबाबू श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार
----	-------------------------	---------------

(1)	(2)	(3)
48	श्री अखिलेश शर्मा	नायब तहसीलदार
49	श्री राजकुमार खरे	राजस्व निरीक्षक
50	श्री श्रीकान्त तिवारी	राजस्व निरीक्षक
51	श्री सुधीर शर्मा	राजस्व निरीक्षक

रीवा संभाग

52	कु. श्रद्धा तिवारी	नायब तहसीलदार
53	श्री वीरेन्द्र कुमार पटेल	नायब तहसीलदार
54	श्री इन्द्रभान सिंह	राजस्व निरीक्षक
55	श्री ललन सिंह	राजस्व निरीक्षक
56	श्री तेजपति सिंह	राजस्व निरीक्षक
57	श्री रामनरेश गौतम	राजस्व निरीक्षक
58	श्री राम प्रताप सोनी	राजस्व निरीक्षक
59	श्री राज नारायण पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
60	श्री सुवेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक

शहडोल संभाग

61	श्री संदीप कुमार बघेल	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
62	श्री चन्द्रसिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक
63	श्री धनकुंवर टोप्पो	राजस्व निरीक्षक
64	श्री मनोज सिंह	राजस्व निरीक्षक
65	श्री राजाराम कौल	राजस्व निरीक्षक
66	श्री सुदामा प्रसाद पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
67	श्री गणेश प्रसाद बर्मन	राजस्व निरीक्षक
68	श्री माधव प्रसाद मोगरे	राजस्व निरीक्षक
69	श्री शिवशंकर मिश्र	राजस्व निरीक्षक
70	श्री दिनेश तिवारी	राजस्व निरीक्षक
71	श्री विनोद सिंह	राजस्व निरीक्षक

क्र. 8300-3451-अका-वपप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र प्रक्रिया-प्रथम (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

भोपाल संभाग

1	श्री कलिराम उईके	वन क्षेत्रपाल
2	श्री सुधीर पटले	वन क्षेत्रपाल
3	श्री सुभाष शर्मा	वन क्षेत्रपाल

(1)	(2)	(3)	होशंगाबाद संभाग		
	होशंगाबाद संभाग		3	श्री मनोज कटारिया	सहायक वन संरक्षक
			4	श्री अजय वाहने	वन क्षेत्रपाल
4	श्री रामस्वरूप उईके	वन क्षेत्रपाल	5	श्री आशीष कुमार खोब्रागड़े	वन क्षेत्रपाल
5	श्री चित्रक सिंह सोलंकी	वन क्षेत्रपाल	6	श्री हेमराज वट	वन क्षेत्रपाल
6	श्री बाबूलाल मुवैल	वन क्षेत्रपाल	7	श्री पंकज चौहान	वन क्षेत्रपाल
7	श्री सेवक राम मण्डलोई	वन क्षेत्रपाल	8	कु. विनिता जाटव	वन क्षेत्रपाल
	जबलपुर संभाग		9	श्री सिद्धार्थ दीपंकर	वन क्षेत्रपाल
				इन्दौर संभाग	
8	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान	वन क्षेत्रपाल	10	श्री गोपाल सिंह मुवेल	सहायक वन संरक्षक
9	सुश्री अर्चना नारनवरे	वन क्षेत्रपाल	11	श्री अशोक कुमार सोलंकी	सहायक वन संरक्षक
10	श्री भूरा गायकवाड़	वन क्षेत्रपाल	12	श्री रामकिशन सोलंकी	सहायक वन संरक्षक
11	श्री रमेश गेहलोत	वन क्षेत्रपाल	13	श्री राकेश कुमार डामर	सहायक वन संरक्षक
12	श्री क्रान्ति झारिया	वन क्षेत्रपाल	14	श्री पी. एस. ठाकुर	वन क्षेत्रपाल
13	श्री सुरेश कुमार भलावी	वन क्षेत्रपाल	15	श्री रमेश कुमार मरकाम	वन क्षेत्रपाल
14	कु. अंजना मर्सकोले	वन क्षेत्रपाल	16	कु. आकांक्षा खातरकर	वन क्षेत्रपाल
15	श्री सुरसिंग कल्वेलिया	वन क्षेत्रपाल	17	कु. श्यामलता मेरावी	वन क्षेत्रपाल
16	कु. प्रिती शाक्या	वन क्षेत्रपाल	18	श्री विजय सिंह मौर्य	वन क्षेत्रपाल
17	कु. विध्या गिनारे	वन क्षेत्रपाल	19	श्री अजय सागर	वन क्षेत्रपाल
18	श्री अनिल कुमार क्षत्रिय	वन क्षेत्रपाल	20	श्री पीरूलाल परिहार	वन क्षेत्रपाल
	इन्दौर संभाग		21	श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी	वन क्षेत्रपाल
19	श्री सरदार सिंह चौहान	वन क्षेत्रपाल	22	कु. संगीता रावत	वन क्षेत्रपाल
20	श्री बिसन सिंह मौर्य	वन क्षेत्रपाल	23	कु. पायल राजावत	वन क्षेत्रपाल
	सागर संभाग			ग्वालियर संभाग	
21	श्री दिनेश मौर्य	वन क्षेत्रपाल	24	श्री एस. पी. मंगल	वन क्षेत्रपाल
22	श्री माधोराव उईके	वन क्षेत्रपाल		जबलपुर संभाग	
	रीवा संभाग		25	श्री सुनील सुलिया	वन क्षेत्रपाल
23	श्री रामेश्वर उईके	वन क्षेत्रपाल		सागर संभाग	
24	श्री लक्सा सोलंकी	वन क्षेत्रपाल	26	श्री राम कुमार अवधिया	सहायक वन संरक्षक
	शहडोल संभाग		27	सुश्री उर्मिला मरकाम	वन क्षेत्रपाल
25	श्री विवेक कुमार कोल	वन क्षेत्रपाल	28	श्री सद्गुरू चक्रधर	वन क्षेत्रपाल
26	श्री अम्बिका प्रसाद मेरावी	वन क्षेत्रपाल		रीवा संभाग	
27	श्री शिवकुमार ककोड़िया	वन क्षेत्रपाल	29	श्री राजेश कुमार निनामा	सहायक वन संरक्षक
			30	श्रीमती संगीता सिंह	वन क्षेत्रपाल
			31	कु. प्रीति शाक्य	वन क्षेत्रपाल
			32	श्री मनोज कुमार वास्कले	वन क्षेत्रपाल
				शहडोल संभाग	
			33	श्री राम कुमार	वन क्षेत्रपाल
			34	श्री आर. के. सिंह	वन क्षेत्रपाल

क्र. 8302-3453-अका-विपप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र-प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	भोपाल संभाग	
1	श्री संजय पाठक	सहायक वन संरक्षक
2	श्री जयराज सिंह राठौर	सहायक वन संरक्षक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2012

क्र. ई-1-396-2012-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना 3 में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डॉ. देवराज बिरदी (1982) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता तथा पशुपालन विभाग.	-
2	श्री बी. पी. सिंह (1984) राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग एवं संस्कृति विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन.	-
3	श्री पी. सी. मीना (1984) आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक संघ.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग.	-
4	श्री प्रभांशु कमल (1985) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग.	राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.	प्रमुख सचिव म. प्र. शासन
5	श्री शैलेन्द्र सिंह (1988) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग.	विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्यप्रदेश नई दिल्ली.	प्रमुख सचिव म. प्र. शासन
6	श्री शिवनारायण मिश्रा (1990) अवकाश से लौटने पर.	सदस्य सचिव राज्य वित्त आयोग	सचिव म. प्र. शासन
7	श्री अशोक कुमार शिवहरे (1995) कमिश्नर, चंबल संभाग, मुँरैना.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.	-
8	श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव (1995) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (अतिरिक्त प्रभार).	आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक संघ (अतिरिक्त प्रभार).	-

(1)	(2)	(3)	(4)
9	श्री डी. पी. अहिरवार (1995) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग.	कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल.	-
10	श्री संजीव कुमार झा (1996) परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट उदय.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (अतिरिक्त प्रभार).	-
11	श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव (1996) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश तथा सचिव, मुख्यमंत्री.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) एवं सचिव, मुख्यमंत्री.	-
12	श्री शिवानन्द दुबे (1996) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.	कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना.	-
13	श्री जी. पी. श्रीवास्तव (1997) संचालक, कौशल विकास, जबलपुर	सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.	-
14	श्री महेन्द्र ज्ञानी (1998) कलेक्टर, मंदसौर.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड-सह-संचालक, मण्डी, मध्यप्रदेश.	अपर सचिव म. प्र. शासन
15	श्री शशांक मिश्रा (2007) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़.	कलेक्टर, मंदसौर.	-

(2) उपरोक्तानुसार श्री शैलेन्द्र सिंह, भाप्रसे (1988) द्वारा विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश नई दिल्ली का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती स्नेहलता कुमार, भाप्रसे (1979), वि.क.अ.-सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश, नई दिल्ली तथा विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश नई दिल्ली केवल विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्यप्रदेश नई दिल्ली के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(3) उपरोक्तानुसार श्री बी. पी. सिंह, भाप्रसे (1984) द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह, भाप्रसे (1985), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा संस्कृति विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन केवल संस्कृति विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन के प्रभार से मुक्त होंगे।

(4) उपरोक्तानुसार श्री डी. पी. अहिरवार, भाप्रसे (1995) द्वारा कमिश्नर, शहडोल संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रदीप कुमार खरे, भाप्रसे (1992), कमिश्नर, रीवा संभाग तथा कमिश्नर, शहडोल संभाग, केवल कमिश्नर, शहडोल संभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर (तेन्दूखेड़ा) दिनांक 22 सितम्बर 2012

रा. प्र.-क्र. 2-अ-82 वर्ष 2011-2012 पत्र क्र.-881-प्र.आ.वि.अ.-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उनके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चरगंवा	0.877	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/सं.) संभाग, नरसिंहपुर.	चरगवा गुदरई मार्ग सड़क निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी तेन्दूखेड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

नरसिंहपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2012

रा. मा. क्र.-1अ-82 वर्ष 2012-2013 पत्र क्रमांक-406-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	अजंसरा प.ह.नं. 66 न.बं. 1	0.066	कार्यपालन यंत्री, रा.अ.बा.लो. सागर नहर संभाग क्र. 1, करेली.	घघरोला माईनर निर्माण हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 1 अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	घुटवानी	45.236	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	घोघरा जलाशय हेतु डूब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 2 अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	हमीदगंज	0.833	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	घोघरा जलाशय की हमीदगंज वितरिका हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

क्र. 3131-प्रशा.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	खाम्हा	1.120	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3133-प्रशा.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	सहलोलवा-53	1.310	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3135-प्रशा.-भू-अर्जन-2012.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	घोड्डिहा	1.250	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 01-अ-82-12-13.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	शमशाबाद	3.505 योग . . 3.505	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन.	संजय सागर (वाह) मध्य सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहरों का निर्माण.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी नटेरन जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्र. क्र. 06-अ-82.—11-12-संशोधन.—श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना अन्तर्गत म.प्र.पा.ज.कं.लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की संपूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण हेतु ग्राम बिजौरामाफी, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा के अधिग्रहित किये जा रहे मकानों के संबंध में भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06-अ-82-11-12 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 16 मार्च 2012 दैनिक जागरण में दिनांक 2 मार्च 2012 को, नई दुनिया में दिनांक 2 मार्च 2012 को हुआ है. उक्त घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

(चार पुनर्वास प्लोटों कुल क्षेत्रफल 2006.64 वर्ग मीटर भूमि पर स्थित "05 मकान, 04 टिन शेड" कुल निर्मित क्षेत्रफल 1069.05 वर्गमीटर एवं बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर).

प्रकाशन जिसमें हुआ (1)	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि (2)	सही संशोधित प्रविष्टि (3)
मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, दिनांक 16 मार्च 2012. दैनिक जागरण, दिनांक 2 मार्च 2012 नई दुनिया, दिनांक 2 मार्च 2012	1069.05 वर्गमीटर (कुल मकान 05) टिन शेड (04) बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर.	चार पुनर्वास प्लोटों कुल क्षेत्रफल 2006.64 वर्ग मीटर भूमि पर स्थित "05 मकान, 04 टिन शेड" कुल निर्मित क्षेत्रफल 1069.05 वर्गमीटर एवं बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

खण्डवा, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

नस्ती क्र. 97-2011-एल ए.-भू-अर्जन प्र. क्र. 06-अ-82.—11-12-शुद्धि पत्र.—श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना अन्तर्गत म.प्र.पा.ज.कं.लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की संपूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण हेतु ग्राम बिजौरामाफी, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा के अधिग्रहित किये जा रहे मकानों के संबंध में भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06-अ-82-11-12 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में अप्राप्त दैनिक जागरण में दिनांक 3 अक्टूबर 2012 को, नई दुनिया में दिनांक 2 अक्टूबर 2012 को हुआ है. उक्त घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

(चार पुनर्वास प्लोटों कुल क्षेत्रफल 2006.64 वर्ग मीटर भूमि पर स्थित "05 मकान, 04 टिन शेड" कुल निर्मित क्षेत्रफल 1069.05 वर्गमीटर एवं बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर).

प्रकाशन जिसमें हुआ (1)	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही संशोधित प्रविष्टि		
	भूखंड क्र. (2)	निर्मित रकबा वर्गमीटर में (3)	भूखंड क्र. (4)	भूखंड का रकबा (व.मी.) (5)	निर्मित रकबा (वर्गमीटर में) (6)
मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1	551	(1) पक्का मकान 74.90 व.मी. (2) शौचालय 4.50 व.मी. (3) बाउंड्रीवाल 55.7 मी.×2.3 मी. ऊंचाई	551	501.66	(1) पक्का मकान 74.90 व.मी. (2) शौचालय 4.50 व.मी. (3) बाउंड्रीवाल 55.7 मी.×2.3 मी. ऊंचाई

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दैनिक जागरण, दिनांक 3-10-12.	07	(1) पक्का मकान 115.0 व.मी. (2) बरामदा 27.00 वर्गमीटर (3) बाउंड्रीवाल 7.9 मी. × 1.6 मी. ऊंचाई	07	501.66	(1) पक्का मकान 115.0 व.मी. (2) बरामदा 27.00 वर्गमीटर (3) बाउंड्रीवाल 7.9 मी. × 1.6 मी. ऊंचाई
नई दुनिया, दिनांक 2-10-12.	421	(1) मकान 231.30 वर्गमीटर (2) टीन शेड 132.24 वर्गमीटर (3) टीन शेड 16.34 वर्गमीटर	421	501.66	(1) मकान 231.30 वर्गमीटर (2) टीन शेड 132.24 वर्गमीटर (3) टीन शेड 16.34 वर्गमीटर
	420	(1) मकान 78.11 वर्गमीटर (2) मकान 208.38 वर्गमीटर (3) अस्थाई टीन शेड 105.78 व.मी. (4) टीन शेड 75.50 वर्गमीटर	420	501.66	(1) मकान 78.11 वर्गमीटर (2) मकान 208.38 वर्गमीटर (3) अस्थाई टीन शेड 105.78 व.मी. (4) टीन शेड 75.50 वर्गमीटर.
कुल . .	1069.05 व.मी. तथा बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर.		2006.64 व. मी.	1069.05 व. मी. तथा बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 3 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 04-अ-82-11-12 भू.अ. अ.-बरगी-2.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	रीठी	रजपुरा नं. बं. 352 प. ह. नं. 22/47	0.85	कार्यपालन यंत्री, न. वि. सं. क्र. 3, बरगी दांयी तट मुख्य नहर कटनी.	निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

क्र. 3099-भू-अर्जन-कार्य.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—कोटर
(ग) ग्राम—रजरवार
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.112 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
67	0.112
योग . .	0.112

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कोटर माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3101-भू-अर्जन-कार्य.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—कोटर

- (ग) ग्राम—किचवरिया
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.328 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
390	0.040
395	0.028
341	0.036
342	0.016
343	0.088
344	0.060
79	0.036
80	0.024
योग . .	0.328

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली केमली सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

पत्र क्र. 3137-प्रशा-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुरबाघेलान
(ग) ग्राम—चोरमारी
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.500 हे.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
1517/2	0.044
473/3	0.080

(1)	(2)	(1)	(2)
158/2	0.112	1977	0.032
159/2	0.108	1974	0.124
162/4	0.156	1978	0.080
योग . .	<u>0.500</u>	1961	0.052
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—		1962	0.064
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत महिदल कला वितरक		1963	0.020
नहर के अन्तर्गत डेंगरहट माइनर नहर के अन्तर्गत ग्राम		1958	0.032
चोरमारी तहसील रामपुर बाघेलान में आने वाली निजी/		1927	0.104
शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.		1926	0.008
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक,		1901	0.020
भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के		1900	0.032
कार्यालय में किया जा सकता है.		1903	0.004
		1899	0.052
		1898	0.008
		1896	0.040
रीवा, दिनांक 26 अक्टूबर 2012		1894	0.008
क्र. 3144-प्रका-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का		1889	0.008
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित		1890	0.052
भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक		1891	0.064
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894		1881	0.020
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा घोषित		1807	0.064
किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन		1808	0.012
हेतु आवश्यकता है :—		1810	0.064
		1812	0.008
अनुसूची		1666	0.048
(1) भूमि का वर्णन—		1665	0.092
(क) जिला—सीधी		1663	0.120
(ख) तहसील—सिहावल		1678	0.008
(ग) ग्राम—अमिलिया		1662	0.016
(घ) क्षेत्रफल लगभग—2.074 हेक्टेयर.		1652	0.072
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अमिलिया नं. 2		1651	0.040
माईनर के निर्माण हेतु		1654	0.008
खसरा अर्जित रकबा		1637	0.010
नम्बर (हे. में)		1640	0.052
(1) (2)		1643	0.004
(अ) निजी भूमि का विवरण		1639	0.016
2217	0.008	1644	0.040
2218	0.008	1607	0.028
2215	0.020	1604	0.040
2214	0.020	1605	0.010
2212	0.040	1603	0.032
2171	0.064	1602	0.120
2133	0.064	1650	0.010
		योग . .	<u>1.962</u>

(1)	(2)	(1)	(2)
म. प्र. शासन की भूमि			
1895	0.016	400	0.013
1821	0.016	397	0.032
1809	0.020	398	0.032
1664	0.020	396	0.036
1661	0.008	395	0.040
1641	0.032	388	0.084
योग (ब) . .	0.112	387	0.016
महायोग (अ+ब) . .	2.074	386	0.048
		385	0.024
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—		384	0.084
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर		356	0.008
क्र. 1 की अमिलिया माईनर के निर्माण में आने वाली		362	0.064
ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति		361	0.048
सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.		364	0.008
		360	0.036
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर		354	0.054
परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		365	0.016
		339	0.124
क्र. 3146-प्रका-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का		338	0.50
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित		331	0.080
भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक		332	0.070
प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894		333	0.008
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा घोषित		299	0.192
किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन		293	0.020
हेतु आवश्यकता है :—		298	0.040
		301	0.024
		271	0.040
		270	0.160
(1) भूमि का वर्णन—		263	0.048
(क) जिला—सीधी		262	0.048
(ख) तहसील—सिहावल		260/4	0.052
(ग) ग्राम—अमिलिया		260/3	0.036
(घ) क्षेत्रफल लगभग—2.835 हेक्टेयर.		261/1	0.010
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अमिलिया माईनर नं. 1		259	0.090
के निर्माण हेतु		258	0.070
खसरा	अर्जित रकबा	253	0.040
नम्बर	(हे. में)	252	0.070
(1)	(2)	249	0.170
(अ) निजी भूमि का विवरण		235	0.180
		234	0.084
415	0.008	233	0.040
414	0.044	232	0.080
413	0.050	225	0.044
399	0.032	226	0.034

(1)	(2)
227	0.060
228	0.070
योग (अ)	2.811

म. प्र. शासन की भूमि

267	0.024
योग (ब)	0.024
महायोग (अ+ब)	2.835

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की अमिलिया माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3148-प्रका-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल
(ग) ग्राम—करौली खुर्द
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.12 हेक्टेयर

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पमरिया माईनर की परिसिधी माईनर के निर्माण हेतु

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
------------	-----------------------

(अ) निजी भूमि का विवरण

(1)	(2)
57	0.06
58	0.06
योग (अ)	0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक क्र. 2 की पमरिया माईनर परिसिधी माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3150-प्रका-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल
(ग) ग्राम—उकसा
(घ) क्षेत्रफल लगभग—2.98 हेक्टेयर

सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की उकसा माईनर नं. 1 के निर्माण हेतु.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
------------	-----------------------

(अ) निजी भूमि का विवरण

(1)	(2)
176/1	0.03
177	0.06
187	0.08
188	0.01
180	0.19
289	0.04
290	0.03
291	0.04
324	0.08
322	0.03
319	0.08
318	0.04
314	0.04
313	0.03
312	0.03

(1)	(2)	(1)	(2)
346	0.06	683	0.02
345	0.21	684	0.03
344	0.02	682	0.02
365	0.08	योग (अ)	<u>2.94</u>
366	0.07		
367	0.02	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण	
368	0.02	175	0.02
369	0.09	302	0.01
374	0.02	325	0.01
373	0.12	योग (ब)	<u>0.04</u>
375	0.01	महायोग (अ+ब)	<u>2.98</u>
384	0.14		
385	0.08		
386	0.01	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—	
390	0.03	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर	
387	0.06	क्र. 1 की उकसा माईनर क्र. 1 के निर्माण में आने वाली	
389	0.03	ग्रामों की निजी भूमि / शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति	
388	0.02	सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.	
634	0.04	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर	
633	0.01	परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
635	0.02		
637	0.07	क्र. 3152-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात	
636	0.01	का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में	
638	0.04	वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की	
630	0.03	सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम,	
643	0.01	1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्द्वारा	
644	0.05	द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि तथा	
645	0.02	उस पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	
646	0.01	अनुसूची	
647	0.07		
648	0.01	(1) भूमि का वर्णन—	
627	0.01	(क) जिला—सीधी	
655	0.01	(ख) तहसील—सिहावल	
656	0.07	(ग) ग्राम—सुपेला	
619	0.04	(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.33 हेक्टेयर.	
618	0.07		
617	0.04	सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की उकसा माईनर नं. 1 के	
616	0.03	निर्माण हेतु.	
674	0.03		
669	0.04	खसरा नं.	अर्जित रकबा
670	0.06		(हेक्टेयर में)
673	0.01	(1)	(2)
672	0.02	(अ) निजी भूमि का विवरण	
671	0.15	1426	0.14

(1)	(2)	(1)	(2)
1427	0.02	642	0.07
1432	0.02	643	0.04
1433	0.07	644	0.05
1436	0.07	668	0.05
1437	0.01	669	0.03
योग (अ)	<u>0.33</u>	670	0.02

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण
निरंक

महायोग (अ+ब) 0.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की उकसा माईनर नं. 1 के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3154-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्द्वारा द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—सिहावल

(ग) ग्राम—सजमानी कला

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.29 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की सजमानी माईनर नं. 2 के निर्माण हेतु.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

639

0.02

641

0.03

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

निरंक

महायोग (अ+ब) 1.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की सजमानी माईनर नं. 2 के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3156-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्द्वारा

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि तथा उस पर	(1)	(2)
स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	375	0.07
	392	0.05
अनुसूची	393	0.08
(1) भूमि का वर्णन—	397	0.04
(क) जिला—सीधी	398	0.01
(ख) तहसील—सिहावल	399	0.07
(ग) ग्राम—सजमानी कला	400	0.04
(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.70 हेक्टेयर.	401	0.04
	432	0.04
सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की सजमानी कला माईनर के	433	0.03
निर्माण हेतु.	434	0.05
	438	0.06
खसरा नं.	अर्जित रकबा	439
	(हेक्टेयर में)	440
(1)	(2)	441
(अ) निजी भूमि का विवरण		443
16	0.34	493
117	0.09	494
120	0.04	495
121	0.03	496
122	0.05	497
128	0.08	498
134	0.04	499
132	0.07	518
147	0.03	740
146	0.01	741
145	0.01	742
144	0.01	743
150	0.12	744
163	0.02	794
164	0.25	795
195	0.08	797
196	0.10	840
194	0.01	841
193	0.03	842
186	0.08	839
187	0.03	843/1
310	0.07	844
314	0.03	845
334	0.07	851
315	0.04	
332	0.05	
324	0.07	
325	0.05	
329	0.04	
368	0.02	
369	0.10	
373	0.09	
		योग (अ) . . 3.67
		(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण
		130
		519
		815
		योग (ब) . . 0.03
		महायोग (अ+ब) 3.70

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की सजमानी कला माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
- क्र. 3158-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल
(ग) ग्राम—अमिलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.040 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पमरिया माईनर की परसिधी सब माइनर के निर्माण हेतु.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
740	0.024
741	0.008
749	0.028
750	0.072
752	0.032
753	0.028
760	0.064
761	0.004
765	0.140
776	0.010
777	0.048
779	0.032
785	0.040
792	0.024
793	0.032
799	0.028
800	0.028

(1)	(2)
813	0.052
812	0.064
819	0.032
818	0.020
841	0.016
842	0.004
840	0.030
839	0.044
837	0.008
851	0.008
852	0.028
836	0.028
858	0.020
859	0.016
860	0.028

योग (अ) . . . 1.040

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की अमिलिया माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 3160-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—भगवानपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.017 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
254/1	0.024
255	0.450

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2012

क्र. भू-अ-1-ए-82-2011-12—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—बैरसिया
(ग) ग्राम—पीपलखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.060 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
211/1	0.300
212/2	0.450
413	2.240
414	0.900
409	3.350
412	1.870
410	0.490
211/2	0.330
220	0.270
219	0.810
46/3	0.050

कुल योग . . . 11.060

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अ-2-ए-82-2011-12—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—बैरसिया
(ग) ग्राम—बरी बगराज
(घ) लगभग क्षेत्रफल—27.729 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
102	0.769
104	0.134
122/2/2/2ख	0.093
101/2	0.704
122/2/2/2क	0.089
103/2	0.757
113/2	1.328
103/1	0.194
113/1	0.350
114/2	1.582
120/2	0.772
122/1/2	0.243
105	0.344
106/1	1.800
107/1/1	0.628
107/1/2	0.631
107/1/3	0.628
108, 109, 169/2	0.968
112	0.640
119/2	0.109
114/1	2.558
115/2	0.032
120/1	0.522
117/2	0.117
119/1	0.032
122/2/2/1	0.040
124, 126/2/2/3	0.486
122/2/2/3	0.724

(1)	(2)	(1)	(2)
122/2/2/4	0.182	खसरा नं.	रकबा (हे. में)
123/1	1.076	(1)	(2)
122/2/2/5	0.100	202/181/1	1.500
123/3	1.546	202/181/2/2	
124, 126/1/4	0.668	173/1	0.258
123/2	1.310	173/2	0.303
124, 126/1/3	0.259	173/3	0.303
124, 126/2/2/4	0.101	173/4	0.566
124, 126/2/2/1क	0.190	171/2	0.085
124, 126/1/2	0.668	88/2	1.000
124, 126/2/2/2	0.618	184	0.906
124, 126/1/1/1क	0.498		योग : 4.921
124, 126/2/2/1ख	0.833	(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर बढ़ाने हेतु.	
124, 126/1/1/1ख	0.417	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.	
82	0.478		
79/2	0.979		
133, 134/2/1	0.064		
133, 134/2/2	0.226		
133, 134/2/3	0.242		
	योग : 27.729		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अ-4-ए-82-2011-12—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—भोपाल

(ख) तहसील—बैरसिया

(ग) ग्राम—बगराज

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.921 हेक्टेयर.

क्र. भू-अ-5-ए-82-2011-12—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—भोपाल

(ख) तहसील—बैरसिया

(ग) ग्राम—बूधौर कला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.155 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
17/2, 19,	2.205
20, 331/17	
31/1	1.623
31/2	0.967
38	
16/2	0.360
	योग : 5.155

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अ-6-ए-82-2011-12—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—बैरसिया
(ग) ग्राम—भैंसखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.762 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	रकबा (हे. में) (2)
196/1	2.080
424/6	0.209
424/8/1	0.209
469/399/2	0.202
284, 473/283/2/1	0.800
204/2	1.303
204/1	1.306
266/2	1.218
273	1.935
269	1.500
योग : <u>10.762</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अ-7-ए-82-2011-12—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—बैरसिया
(ग) ग्राम—खैजड़ा बब्बर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—19.093 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	रकबा (हे. में) (2)
143/2	1.000
64,65/2/2	1.922
60/2/2	1.214
47/2/1	1.000
47/2/2	0.850
139, 140, 141, 142/2/1	4.059
139, 140, 141, 142/2/3	1.214
139, 140, 141, 142/2/2	1.214
57, 58, 353/57/1क	1.000
57, 58, 353/57/2क	0.938
57, 58	1.822
353/57/2ख, 57, 58	
353/57/1ख	0.323

(1)	(2)
50	1.323
51/2	1.214
योग : <u>19.093</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 8-भू-अ-8-ए-82-2011-12—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—भोपाल

(ख) तहसील—बैरसिया

(ग) ग्राम—ऊटखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.309 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
199/1/3	1.500
90/1/1/5ख	0.809
योग : <u>2.309</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अ-9-ए-82-2011-12—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—भोपाल

(ख) तहसील—बैरसिया

(ग) ग्राम—बूधौरखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.885 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
36/1	0.405
37/1/1	1.406
37/1/2	1.742
46, 47,	1.500
48/1/2	
52/2/1	1.918
52/2/2	1.914
45	1.000
योग : <u>9.885</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,	(1)	(2)
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं	813	0.03
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	814	0.08
	815	0.08
रीवा, दिनांक 18 अक्टूबर 2012	853	0.01
क्र. 3109-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान	854	0.11
हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की,	855	0.01
अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए	856	0.12
आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन्	859/1, 859/2	0.05
1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि	861	0.01
निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु	862/1, 862/2	0.02
आवश्यकता है:—	867	0.10
अनुसूची	868	0.01
(1) भूमि का वर्णन—	871	0.01
(क) जिला—सीधी	872	0.14
(ख) तहसील—चुरहट	873	0.08
(ग) ग्राम—दुंअरा	875	0.09
(घ) लगभग क्षेत्रफल —7.37 हेक्टेयर.	911	0.06
खसरा	912	0.10
रकबा	916	0.05
नं.	(हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
(अ) निजी भूमि का विवरण	928	0.14
	934/1, 934/2	0.10
159/1, 159/2	0.20	
167	0.05	0.09
108	0.14	0.01
170	0.02	0.26
173	0.20	0.03
175	0.06	0.06
189	0.15	0.10
197/1, 197/2	0.03	0.13
210	0.13	0.12
218/1, 218/2	0.19	0.01
219	0.04	0.10
226	0.15	0.01
727	0.01	0.02
746	0.11	0.24
771	0.05	0.28
780	0.02	0.01
801	0.08	0.10
810	0.08	0.27
812	0.08	0.01
	1111	0.01
	1113	0.08

(1)	(2)	(ग) ग्राम—बडखरा 740	
1114	0.28	(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.18 हेक्टेयर.	
1115	0.20	खसरा	रकबा
1140	0.18	नं.	(हेक्टेयर में)
1141	0.13	(1)	(2)
1142	0.13	(अ) निजी भूमि का विवरण	
1143	0.80	659	0.07
1147	0.12	661	0.02
1148	0.12	662	0.02
1150	0.06	664	0.03
1151/1, 1151/2	0.04	667	0.04
		668	0.04
योग (अ)	7.29	669	0.04
		672	0.01
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण		673	0.03
209	0.01	674	0.01
735	0.04	675	0.02
884	0.02	626	0.09
1036	0.01	677	0.06
योग (ब)	0.08	680	0.16
योग (अ+ब)	7.37	683	0.02
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर		816	0.01
परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की दंडरा सब-		919	0.04
माईनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित		920	0.02
सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.		1014	0.02
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर		1018	0.01
परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		1020	0.03
		1021	0.06
क्र. 3111-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का		1022	0.03
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित		1029	0.05
भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन		1032	0.03
के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक		1034	0.06
एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया		1037	0.03
जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन		1038	0.01
हेतु आवश्यकता है:—		1048	0.09
		1049	0.01
		1050	0.09
		1064	0.15
		1066	0.03
		1067	0.03
		1068	0.01
		1077	0.02

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—चुरहट
(ग) ग्राम—बडखरा 739
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.28 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

(1)	(2)		
1078	0.05		
1081	0.05		
1082	0.06		
1083	0.09		
1084	0.01		
1087	0.02		
1100/1, 1100/2	0.03		
1151	0.02	खसरा	रकबा
1152	0.03	नं.	(हेक्टेयर में)
1167	0.03	(1)	(2)
1168	0.01	(अ) निजी भूमि का विवरण	
1171	0.02	259	0.01
1172	0.05	261	0.01
1173	0.12	271	0.04
1376	0.04	272	0.03
योग (अ)	2.13	276	0.03
		277	0.03
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण		291	0.03
1019	0.01	292	0.06
1074	0.02	293	0.06
1051	0.02	294	0.16
योग (ब)	0.05	297	0.16
योग (अ+ब)	2.18 हे.	318	0.01
निजी भूमि का रकबा	2.13 हे.	319	0.06
म. प्र. शासन की भूमि का रकबा	0.05 हे.	320	0.02
		321	0.07
महायोग	2.18 हे.	429	0.07
		430	0.10
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की बडखरा माईनर नं. 3 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.		431	0.01
		432	0.11
		438	0.02
		439	0.12
		योग (अ)	1.28

योग (अ) . . . 1.28

(ब) म. प्र. शासन की भूमि NIL

प्रस्तावित कुल निजी भूमि 1.28 हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की बडखरा माईनर नं. 3 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

क्र. 3113-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 3115-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—चुरहट
(ग) ग्राम—बडखरा 740
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.86 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
245	0.03
251	0.05
252	0.08
253	0.05
358	0.02
259	0.06
261	0.01
454	0.08
455	0.08
457	0.06
458	0.07
462	0.01
463/1, 463/2	0.06
467	0.10
479	0.04
480	0.06
योग (अ)	0.86

(ब) म. प्र. शासन की भूमि NIL
योग (अ+ब) 0.86 हे.
प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा 0.86 हे.
प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा NIL

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की बडखरा माईनर नं. 3 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 3117-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—चुरहट
(ग) ग्राम—सांडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —4.45 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
475	0.01
1799	0.06
1800	0.01
1801	0.03
1802	0.02
1803	0.07
1804	0.04
1805	0.01
1807	0.01
1818	0.04
1819	0.1
1820	0.01
1841	0.01
1842	0.02
1843	0.03
1844	0.02
1848	0.03

(1)	(2)	(1)	(2)
1850	0.03	2153	0.02
1852	0.03	2162	0.32
1853	0.05	2163	0.08
1854	0.01	2164	0.10
1858	0.08	2166	0.05
1859	0.04	2167	0.06
1860	0.02		योग (अ) . . . 4.27
1861	0.01		
1869	0.02		(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण
1870	0.04	2066	0.06
1872	0.04	2145	0.02
1897	0.02	2155	0.02
2006	0.08	2171	0.08
2007	0.03		योग (ब) . . . 0.18
2008	0.02		योग (अ+ब) . . 4.45
2009	0.02		निजी भूमि का रकबा 4.27 हे.
2012	0.02		म. प्र. शासन की भूमि का 0.18 हे.
2014	0.10		रकबा
2015	0.14		महायोग . . . 4.45 हे.
2016	0.02		
2021	0.30		
2022	0.02		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर
2041	0.02		परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की दंअरा सब-
2049	0.02		माईनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित
2054	0.02		सम्पत्तियों के अर्जन हेतु,
2055	0.02		
2056	0.01		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर
2063	0.14		परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
2064	0.30		
2070	0.16		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
2071	0.06		नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
2074	0.16		
2075	0.20		कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश
2131	0.01		एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
2132	0.10		राजस्व विभाग
2133	0.01		छतरपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2012
2134	0.01		
2141	0.20		प्र. क्र. 31-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात
2142	0.24		का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में
2146	0.08		वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की
2152	0.20		सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन
			अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत

इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—चन्दला

(ग) ग्राम—जगतपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—4.609 हेक्टर.

(1)

(2)

187/3/2

0.187

189

0.100

190/1

0.037

190/2

0.130

190/3

0.038

192/1

0.461

योग . . . 4.609

भू-अर्जन खसरा
विवरण से
भूखण्डों की
संख्या

खसरे का क्षेत्रफल
अर्जित रकबा
(हे. में)

(1)

(2)

18

0.101

19

0.160

20/1/1

0.218

20/1/3

0.250

20/1/4

0.251

23/4

0.235

23/5

0.280

23/7

0.288

101

0.086

108

0.109

111/2

0.111

114/1

0.171

115

0.008

117

0.010

119

0.116

128/2

0.172

128/4/1

0.420

137/1

0.072

137/2

0.036

138

0.072

139

0.032

142/3

0.072

146/3

0.120

147

0.080

187/2/3

0.176

187/3/1

0.010

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की बछौन शाखा नहर की जगतपुर माइनर के भू-अर्जन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 32-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—चन्दला

(ग) ग्राम—बछौन

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—4.170 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा

खसरे का क्षेत्रफल

विवरण से

अर्जित रकबा

भूखण्डों की

(हे. में)

संख्या

(1)

(2)

4549/2

0.122

4560/1

0.227

4561/1

0.029

4630/1

0.221

4630/3

0.017

4633/1

0.186

4633/3

0.220

(1)	(2)
4641/1	0.278
4641/2	0.096
4647	0.110
4648/1	0.096
4648/2	0.060
4649/2/2	0.297
4671	0.308
4672/2	0.117
4674	0.357
4675	0.105
4676	0.095
4678	0.102
4680	0.275
4733/1	0.100
4734	0.181
4736	0.148
4737/1	0.020
4741	0.270
4742	0.133
योग . .	<u>4.170</u>

- (2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की बछौन शाखा नहर एवं जगतपुर माइनर के भू-अर्जन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 33-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—चन्दला

(ग) ग्राम—बिलहरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.315 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा	खसरे का क्षेत्रफल
विवरण से	अर्जित रकबा
भूखण्डों की संख्या	(हे. में)
(1)	(2)
1344/1/2/3/1	0.190
1345/1	0.125
योग . .	<u>0.315</u>

- (2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना के अंतर्गत बछौन शाखा नहर की बिलहरी माइनर के भू-अर्जन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा),
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 1 नवम्बर 2012

क्र. 11743-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (पाड़लियाखेड़ी तालाब की नहर निर्माण एवं बांध में शेष प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—राजगढ़

(ग) ग्राम—कल्पोनी, रसुलपुरा, बखेड़, पाड़लियाखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.626 हेक्टेयर.

सर्वे	रकबा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)

नहर में शेष अर्जित भूमि

ग्राम—कल्पोनी

29	0.050
443/1/5	0.140
287/3	0.090
287/4	0.050
287/5	0.050
290	0.050
36/2	0.750
454/1/2	0.251
28	0.120
64/1	0.090
215/2	0.050
289	0.090
454/1/1/2	0.051
454/1/1/3	0.051
206/1	0.100
35	0.100
276/1/1	0.100
208/2/1	0.300
208/2/2	0.300
294/2/2	0.130
294/2/1	0.150

योग . . . 3.063

डूब क्षेत्र में शेष अर्जित भूमि

ग्राम—रसुलपुरा

289/1/3	0.151
249	0.045
270/1/1	0.452
551/1	0.582
योग . . .	1.230

ग्राम—बखेड़

1463/2251/2	0.108
274/2	0.500
योग . . .	0.608

ग्राम—कल्पोनी

391	0.216
432/3	0.420
568/4	0.089
योग . . .	0.725

(1) (2)

ग्राम—पाड़लियाखेड़ी

750	0.100
756	0.350
733	0.250
831	0.150
754	0.150
योग . . .	1.000
महायोग . . .	6.626

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—पाड़लियाखेड़ी तालाब नहर निर्माण एवं डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11745-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—पचोर
(ग) नगर/ग्राम—नीनोर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.171 हेक्टर

सर्वे	रकबा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)

365/1	0.103
273/3	0.026
272/1/2	0.004
272/1/1	0.004
272/1/3	0.004
272/2	0.012
271	0.018
योग . . .	0.171

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, उज्जैन.

(3) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कार्यालय, सारंगपुर, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

तेन्दूखेड़ा, दिनांक 1 अक्टूबर 2012

पत्र क्र. 930-भू-अर्जन-2012-प्र.क्र. अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—तेन्दूखेड़ा
(ग) ग्राम—गुन्दरई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.230 हेक्टेयर.

खसरा नवम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
124, 125/1	0.020
126, 128/5	0.120
128/1, 128/4	0.120
128/3	0.130
137/3	0.440
137/4	0.170
138/5क, 143/5	0.080
138/5ख	0.100
139, 140	0.050
	<u>योग : 1.230</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—चरगुवा से गुन्दरई मार्ग (सड़क निर्माण) हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 01-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—आष्टा
(ग) नगर/ग्राम—रोलागांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.828 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
110/1	0.081
110/2	0.069
109-110/1	0.032
111/2-112/2	0.016
618/118/6	0.006
111/2-112/3	0.016
618-118/1	0.028
111/2-112/4	0.016
618-118/5	0.024
111/2-112/6	0.016
618/118/4	0.016
111/2-112/8	0.021
111/2-112/12	0.024
114-118-569/114/2	0.073
618/118/2	0.004
618/118/3	0.016
120-124/3	0.025
120-124/4	0.008
120-124/5	0.012
615-120/1	0.057
615-120/3	0.012
359	0.061
360/2	0.021
360/1	0.065
360/4	0.029
358/3	0.016
360/5	0.006

(1)	(2)
360/6	0.025
361/1	0.025
586/360	0.008
योग :	<u>0.828</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मनीरामपुरा तालाब की नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—आष्टा
(ग) नगर/ग्राम—झीकडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.070 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
37	0.013
47-48-49	0.247
67	0.154
38-50/1	0.009
41	0.024
46/1	0.130
46/2	0.028
62	0.121
66	0.113
71-73	0.021
69/1	0.012
69/2	0.089
74/1	0.021
72	0.044
182/71/3/2	0.016
182/71/1	0.028
योग :	<u>1.070</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मनीरामपुरा तालाब की नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—आष्टा
(ग) नगर/ग्राम—मनीरामपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.552 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
37/1	0.013
37/2	0.013
38	0.025
39	0.025
40-41/1	0.013
45/3	0.024
47-48/3	0.146
57/3	0.162
75/2	0.041
88/73	0.029
74/92/74/1	0.021
91/35	0.040
योग :	<u>0.552</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मनीरामपुरा तालाब की नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—आष्टा
(ग) नगर/ग्राम—बडघाटी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.715 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

74

0.154

174

0.028

79/1

0.016

151/1

0.006

79/2

0.020

151/4

0.012

180/1

0.016

97/2-98-99/1

0.024

252/171

0.016

192/2-196-197/1

0.016

100/3

0.012

151/3

0.016

104/1

0.016

104/3

0.008

104/2

0.012

107-121-122

0.073

187

0.049

210

0.049

225-226

0.041

110

0.040

111-118

0.020

172/1-173

0.105

188

0.049

222-223-224

0.057

209-218-219-220-221

0.046

(1)

(2)

112-117/1

0.012

113-114/1/1

0.028

112-117/2

0.012

193-194-195/2

0.029

112/117/3

0.016

193-194-195/1

0.008

112-117/4

0.024

125-133/2-243/134

0.012

114/2/3

0.008

114/2/4

0.016

114/2/5

0.016

114/2/1

0.016

116/2

0.012

114/2/6

0.012

114/2/7

0.020

126-127-246/126/1

0.028

126-127-246/126/4

0.020

126-127-246/126/2

0.016

154-155-156/1

0.009

192/1

0.006

200-201/1

0.061

154-155-156/2

0.009

249/154

0.016

192/2-196-197/2

0.073

171/2

0.036

202-203-204/1

0.036

178/4-179

0.021

183/1-182/2-184-186/1

0.012

198-199/2

0.029

206

0.073

216

0.045

217

0.010

192/2-196-197/3

0.073

योग : 1.715

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मनीरामपुरा तालाब की नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—आष्टा
(ग) नगर/ग्राम—कुम्हारिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.864 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5	0.012
19	0.036
52/2-53-18/2	0.049
7/8/9	0.065
17-20/1	0.065
17-20/3	0.025
17-20/2	0.024
17-20/4	0.016
18/2	0.033
22/1	0.073
24-25/4/1	0.049
44-48/2	0.032
44-48/3	0.098
21/1	0.076
21/2	0.021
23-56/23	0.021
24-25/5	0.081
43/4	0.061
24-25/1	0.146
24-25/2	0.073
31-33-35-38/1	0.186
24-25/3	0.061
43/3	0.007
15-26	0.097

(1)	(2)
29/2-34/1/2	0.053
40	0.202
31-33-35-38-3/2	0.125
36	0.041
52/3-53/18/1	0.036
योग :	1.864

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मनीरामपुरा तालाब की नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—आष्टा
(ग) नगर/ग्राम—केलापानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.081 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
75/3	0.134
76	0.057
78/1	0.097
78/2	0.081
78/3	0.073
78/4	0.032
78/5	0.202
79/1	0.041
78/6	0.364
योग :	1.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—छापर तालाब की नहर के निर्माण हेतु.	(1)	(2)
	64/9	0.016
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.	76	0.032
	78/1	0.041
	369/3	0.007
	89	0.016
प्र. क्र. 08-अ-82-2011-12.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	90	0.016
	101	0.041
	103-105/2	0.032
	104/1	0.016
	112	0.105
	340/1-377-342/1-400/341/1	0.012
	114	0.041
	115	0.049
	116-384/116	0.050
	113	0.049
	308-309	0.041
	338	0.049
	10/1	0.065
	313	0.057
	339	0.061
	342	0.069
	343	0.041
	351	0.210
	352	0.005
	353	0.097
	354	0.041
	355-378/355/1	0.085
	355-378/355/2	0.146
	369/2	0.024
	368/1	0.129
	368/2	0.028
		योग : <u>2.324</u>

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—आष्टा

(ग) नगर/ग्राम—छापर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.324 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

10/2	0.016
12	0.028
23	0.105
13/1	0.067
13/2	0.048
22-38	0.081
30/1	0.016
117	0.028
31	0.048
33-34/1	0.073
33-34/4	0.049
64/1	0.024
64/7	0.012
77/1	0.005
64/8	0.016
78/2	0.037

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—छापर तालाब की नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

क्र. एफ. 1579-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—नरवार कला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.335 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
196/2 क	0.014
196/2 ख	0.014
196/2 ग	0.014
324/2 क	0.110
331/1	0.021
330	0.040
332/1 क	0.041
332/1 घ	0.031
332/1 ख	0.050
निजी खाता योग : <u>0.335</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नरवार तालाब योजना अंतर्गत नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 17 अक्टूबर 2012

क्र. क्यू-भू-अर्जन-12-896.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय

- (क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—पिछोर
(ग) ग्राम—नयाखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.87 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
329	0.09
330	0.05
336	0.01
337	0.10
339	0.05
340	0.01
344	0.07
346	0.03
347	0.08
348	0.06
350	0.02
359	0.01
364	0.06
365	0.12
368	0.04
369	0.05
370	0.04
371	0.17
503	0.02
504	0.05
508	0.04
509	0.01
510	0.12

(1)	(2)	उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	
511	0.04	अनुसूची	
512	0.08		
513	0.03	(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय	
514	0.04	(क) जिला—शिवपुरी	
515	0.03	(ख) तहसील—पिछोर	
516	0.01	(ग) ग्राम—पड़रा	
517	0.05	(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.161 हेक्टेयर.	
518	0.01		
519	0.13	सर्वे नं.	अर्जित रकबा
520	0.02		(हेक्टेयर में)
521	0.01	(1)	(2)
537	0.13		
539	0.14	108	0.161
546	0.08	योग : 0.161	
551	0.02		
552	0.02	(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पिछोर, जिला	
553	0.01	शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.	
556	0.05		
557	0.06	शिवपुरी, दिनांक 19 अक्टूबर 2012	
558	0.10		
563	0.05	प्र.क्र. 3-2011-12-अ-82-क्र. क्यू-भू-अर्जन-2012-2088 से	
703	0.04	2093.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया	
704	0.06	है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी	
705	0.04	जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन	
710	0.12	के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894	
711	0.03	(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा	
712	0.06	यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के	
713	0.02	लिए आवश्यकता है :—	
719	0.01	अनुसूची	
720	0.08		
योग :			
2.87			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—महुअर मध्यम परियोजना के अंतर्गत दायीं तट नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पिछोर, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-12-903.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की

(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—कोलारस

(ग) नगर/ग्राम—कूड़ा पाडौन

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.36 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेर में)
-------------	------------------------------

(1)	(2)
401	0.03
393	0.23
391	0.27
432	0.05
456	0.10

(1)	(2)	(1)	(2)
427	0.05	60	0.11
402	0.26	61/1	0.03
403	0.04	62	0.01
392	0.03	65	0.51
390	0.06	71	0.03
389	0.05	70	0.30
434	0.10		योग : <u>1.69</u>
433	0.09		

योग : 1.36

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण—नहर निर्माण हेतु.
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, कोलारस, जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
 उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

नस्ती क्र. 76-2011-एल.ए.-भू-अर्जन- प्र. क्र. 31-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
 (ख) तहसील—पुनासा
 (ग) ग्राम—पिपल्या सैलानी
 (घ) लगभग क्षेत्रफल (अर्जित रकबा)—1.69 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
43	0.33
44	0.02
66/1	0.13
59/2	0.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत आईएसपी, सनावद वितरण शाखा की उप शाखा के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 46-2011-एल.ए.-भू-अर्जन- प्र. क्र. 29-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
 (ख) तहसील—पुनासा
 (ग) ग्राम—इनपुन
 (घ) लगभग क्षेत्रफल (अर्जित रकबा)—0.404 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
437/1	0.058
438/1	0.346
	योग : <u>0.404</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत आईएसपी, सनावद वितरण शाखा की माईनर क्र.-21 के सबमाईनर 3 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

क्र. 1075-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 10-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—भीकनगांव
(ग) ग्राम—पिपलई बुजुर्ग
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.270 हेक्टेयर।

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
56/1/2	0.380
56/6	0.092
57	0.204
58	0.222
59/1	0.188
59/2	0.162
59/3	0.164
60/2	0.164
61/1/1	0.046
161/2	0.402
161/6	0.004
161/7	0.170
161/8	0.164

(1)	(2)
161/9	0.068
164/2	0.094
164/3	0.076
164/4	0.016
167/2	0.106
168/1	0.052
168/2/1	0.174
168/2/2	0.200
170/1	0.724
180/2	0.198
183/1	0.200

योग : 4.270

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन अद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन-2 हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा),
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

क्र. 11529-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—ब्यावरा

(ग) नगर/ग्राम—टोंका एवं नेटाठारी	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.211 हेक्टेयर.	356/2	0.272
सर्वे नं.	355	0.354
रकबा (हेक्टर में)	357	0.312
(1)	373/1	0.745
ग्राम—टोंका	373/2	0.360
	373/3	0.146
5/3	374	0.570
7	375	0.180
8	376	0.490
9/4/1	378/1	0.240
9/4/2	378/2	0.156
9/5	378/3	0.100
10/1	379	0.340
10/2	380	0.010
13/2		योग : <u>7.877</u>
18/2		
59/3/1/1		
191/2		
193/1	130	0.305
100/4	133/1/1	0.177
110/7	133/2	0.078
193/2	134	0.068
110/6	142	0.130
193/3/1	143	0.162
193/3/2	145/2	0.022
194/2	146/3	0.172
249	149 में से	0.220
321 में से		योग : <u>1.334</u>
322		महायोग : <u>9.211</u>
339		
338		
340/1		
341/2		
352/1		
340/2		
348		
349		
350		
351/3		
353		
372		
354/2		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—टोंका तालाब के स्पिल चैनल एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11531-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

		(1)	(2)
अनुसूची		225/1/3	0.486
		392/225/3/3	0.561
		217/2	0.342
		225/1/2	0.487
(1) भूमि का वर्णन—		392/225/2	0.561
(क) जिला—राजगढ़		191/2	0.243
(ख) तहसील—ब्यावरा		191/3	0.519
(ग) नगर/ग्राम—टोंका		192/1	0.400
(घ) लगभग क्षेत्रफल—78.044 हेक्टेयर.		195	0.500
		198	0.720
सर्वे नं.	रकबा	192/2	0.010
	(हेक्टर में)	196/1/1	0.200
(1)	(2)	204/2	0.139
110/18	0.130	205/2	0.465
110/19	0.130	296/1/2	0.200
190/1/1	0.158	204/1	0.138
180/1/1/2	0.080	205/1	0.465
190/1/2	0.158	196/3/1	0.050
180/1/2	0.696	197/1	0.449
190/2	0.013	196/3/2	0.051
231/2	1.092	197/2	0.449
180/2	0.974	197/3	0.499
196/2	0.400	197/4	0.499
196/4	0.101	199	0.430
181/1/1	0.200	203/1/1	0.073
181/1/2	0.812	200/1	0.405
181/2/2	0.080	203/1/2	0.025
181/2/3	0.080	200/2	0.405
181/2/4	0.080	203/1/3	0.024
181/3	0.300	201/1	0.320
181/4	0.531	203/1/4	0.024
181/2/1	0.080	201/2	0.319
184/1	0.633	201/3	0.639
184/2	0.632	202	1.139
185/1	0.335	203/2	0.145
185/2	0.335	207	0.216
228/2/2	0.788	251/1	0.734
228/2/3	1.001	208	0.949
187/1	0.948	209	1.833
188/1	0.222	210	0.468
187/2	0.965	211	1.518
188/2	0.221	212/1	0.721
187/3	0.506	212/2	0.367
252/1	0.562	213/1	0.354
217/1	0.342	213/2	0.721
		214	0.949

(1)	(2)	(1)	(2)
215	0.519	248/1	0.542
216	0.519	248/2	1.771
182	0.392	249	1.055
217/3	0.341	254	0.010
218/1	0.493	250/1	0.810
218/2	0.494	250/2	0.809
219	0.683	252/3	0.460
223	0.506	251/2	0.734
183/1	0.870	252/2	0.560
220/1	1.635	253/1	0.100
220/2	0.759	253/2	0.100
220/3	0.759	355	0.100
220/4	0.506	357	0.101
221/1	1.458	356/2/1	0.196
221/2	1.459	356/2/4	0.196
221/3	1.459	356/2/5	0.196
222	0.949	358/1/3	0.067
224/2	0.424	358/5/3	0.067
225/2/2	0.347	358/1/2	0.067
224/1	0.423	255/1	0.506
225/2/2	0.348	255/2	0.010
225/1/1	0.487	226 में से	1.391
392/225/3/1	0.560	193/1	0.010
228/1	1.260	385/249	1.200
229/1	0.364	226 में से	0.200
229/3	0.190	योग :	<u>78.044</u>
186	0.595	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—टोंका तालाब के निर्माण एवं डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि के अर्जन हेतु.	
228/2/1	0.350	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
229/2	0.078		
230/1	0.658		
231/1/1	0.546		
230/2	0.658		
231/1/2	0.546		
232	1.391		
233	0.292		
234	1.200		
356/1	0.785		
246/1	1.000		
354/1	0.190		
246/2/1	0.500		
356/2/2	0.099		
354/2 में से	0.020		
246/2/2	0.500		
356/2/3	0.098		
247/1/1	4.855		

क्र. 11533-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—ब्यावरा

- (ग) नगर/ग्राम—पालाबे एवं जगन्यापुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—20.424 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)

ग्राम—पालाबे

97/5/1	0.883
128/1	0.401
132/2/1	0.274
132/3/1	0.687
97/5/2	0.884
128/2	0.401
132/2/2	0.274
132/3/2	0.431
97/5/3	0.884
128/3	0.400
132/2/3	0.274
132/3/3	0.431
115	0.506
116	0.606
117	0.278
130/2	0.569
131	0.759
132/1	0.253
109	0.253
135/97	0.190
118	0.620
119	1.385
120	1.303
121	1.759
123	0.772
124	1.354
125	0.707
126	0.342
127	1.164
133/32	0.063
111	0.314
134/128	0.443
108/1/1/2	0.010
योग . . .	<u>19.874</u>

ग्राम—जगन्यापुरा

146/30	0.550
योग . . .	<u>0.550</u>
महायोग . . .	<u>20.424</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पालाबे तालाब के स्पिल चैनल एवं डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11535-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—ब्यावरा
(ग) नगर/ग्राम—उमरेड
(घ) लगभग क्षेत्रफल—43.800 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
11/1	0.153
11/2	0.250
13/3	0.210
11/3	0.350
12/1	0.100
12/2/1	0.610
12/2/2	0.302
13/2	0.650
15/1	0.379
15/2	0.380
15/3	0.379
15/4	0.379
15/5	0.379
16/1	1.800
16/2	1.427
17/7/1/1	0.632
17/7/1/2	0.247
17/3/1/1	0.114

(1)	(2)	(1)	(2)
17/7/1/3	0.506	66/2	0.070
17/3/1/2	0.253	68/1	0.025
17/3/1/3	0.506	66/3	0.120
17/9	2.086	66/4	0.200
18/2	0.190	68/2	0.177
19/3	0.060	67	0.020
25/1	2.100	70/1	0.130
25/2	0.160	73/1	0.584
50/2/2	0.506	70/2	0.129
46/3	0.070	73/2	0.585
50/1/2	0.822	70/3	0.137
47/1	0.332	73/3	0.585
57/2	0.063	70/4	0.130
48/1/2/2	0.408	73/4	0.585
50/2/1	0.329	71	0.164
57/3	0.500	72	1.316
48/1/1	0.185	9/1	0.095
48/1/2/1	0.266	9/2	0.095
48/2/1	0.350	74/2	0.051
49/1	0.092	9/3	0.110
48/2/2	0.413	9/4	0.317
48/2/3	0.413	17/10/3/1	0.359
49/2	0.093	17/10/3/2	0.358
49/3	0.093	17/10/3/3	0.358
50/1/1	0.316	17/10/2	0.540
51/2	0.152	17/7/3	0.190
51/3	0.253	17/7/1/4	0.380
52	0.164	48/1/1	0.045
53 में से	2.488	48/1/2/1	0.045
17/5 में से	0.170	46/1	0.030
17/2 में से	0.200	44 में से	0.025
54	1.025	33 में से	0.155
55	2.959	33 में से	0.051
56	0.430	36 में से	0.045
57/4	0.278	32	0.225
57/5	0.020	28	0.150
59/1/1	0.284	532/1	0.090
59/1/2	0.285	544	0.165
60	1.200	539	0.037
69	3.400	543	0.450
74/4	0.229	569	0.062
75	1.000		
66/1	0.025		
		योग	43.800

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—उमरेड तालाब के डूब क्षेत्र स्पिल चैनल एवं नहर निर्माण हेतु आ रही भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11537-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (सूरजपुरा बांध निर्माण कार्य के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—ब्यावरा
(ग) ग्राम—पड़ोनिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.184 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
141/1/1	0.200
141/1/3	0.100
125/33	1.258
125/32	0.400
141/19	0.160
125/29	0.066
योग . .	<u>2.184</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—सूरजपुरा बांध निर्माण कार्य के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्र. 11653-54-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—पचोर
(ग) नगर/ग्राम—रेठानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.521 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
5/1	0.036
5/2	0.036
10	0.253
9	0.240
33	0.368
32	0.109
31	0.528
40	0.080
41	0.025
43/1	0.095
43/2	0.095
121	0.100
46/1	0.120
120	0.039
113/1/1	0.055
113/1/2	0.055
167	0.025
168	0.025
177/1	0.025
179	0.012
109/1/1	0.200
योग . .	<u>2.521</u>

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग राजगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11655-56-भू-अर्जन-2012.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—पचौर
(ग) नगर/ग्राम—तलेन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.166 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
285	0.020
287	0.020
288	0.012
289/2	0.015
290	0.026
294/1	0.039
295/2	0.018
295/1	0.016
योग . .	<u>0.166</u>

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, 1. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग उज्जैन, 2. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), कार्यालय, सारंगपुर, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 23 अक्टूबर 2012

क्र. 5033-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 11-अ-82-2011-12.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के

पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—सैलाना
(ग) ग्राम—पाटडी, कलता, बेडदी, बन्दरीया का माल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.67 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
(1) ग्राम—पाटडी	
47/1	0.03
47/2	0.03
47/3	0.03
332	0.03
46/5	0.03
48	0.07
351	0.03
330/1	0.09
330/2	0.02
329	0.04
354	0.03
356	0.05
313	0.02
378	0.03
379	0.09
388	0.03
390	0.01
391	0.09
357	0.03
2/1	0.70
3	1.00
400	0.08
327	0.02
325	0.06
318	0.06
314	0.09
306	0.06
307	0.02
289	0.08
285	0.04

(1)	(2)
283	0.03
265	0.05
249	0.06
247	0.03
244	0.02
243	0.05
242	0.03
227	0.16
2/2	0.46
4	1.73
7	1.00
योग . .	<u>6.61</u>

(2) ग्राम—कलता

32	0.04
29	0.02
31	0.07
52	0.03
26	0.06
51	0.06
50	0.08
योग . .	<u>0.36</u>

(3) ग्राम—बेडदी

149	0.84
150	1.07
योग . .	<u>1.91</u>

(4) ग्राम—बन्दरीया का माल

285	0.56
281	1.03
286	0.20
योग . .	<u>1.79</u>
महायोग . .	<u>10.67</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पाटडी तालाब निर्माण से प्रभावित होने वाली डूब भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 25 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 52-अ.-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-9489.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—खड़आमला
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—22
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—0.448 हेक्टर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
262/3	0.180
280/17	0.026
280/21	0.045
280/18	0.017
280/20	0.027
280/19	0.085
280/22	0.068
योग :	<u>0.448</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—खड़आमला लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 53-अ.-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-9490.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—नागठाना
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—10
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—2.802 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
43/1	0.153
44/1	0.121
45/5	0.104
48	0.102
53	0.107
51/1	0.116
52/1	0.079
52/2	0.051
55	0.200
80	0.065
81/2	0.102
81/3	0.177
82	0.144
83	0.056
117	0.079
116/3	0.112
116/6	0.111
115/7	0.065
115/4	0.093
122	0.228
115/1	0.186
79/8	0.065
127/7	0.060
127/1	0.121
45/2	0.105
योग :	<u>2.802</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—देहगुड़ जलाशय की दायीं तट नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 54-अ.-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-9491.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—मोहरखेड़ा
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—32
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—1.836 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
76/2	0.195
75	0.074
7	0.260
74	0.102
8	0.169
9/1	0.170
9/2	0.124
9/3	0.112
32	0.186
31/3	0.067
31/4	0.072
10	0.139

(1)	(2)	(1)	(2)
17	0.084	483	1.400
16	0.074	485	0.405
19	0.008	493	0.485
	योग : <u>1.836</u>	552	0.040
		494/1	0.446
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—देहगुड़ जलाशय की दायीं तट नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.		494/5	0.505
		494/2	0.356
		494/4	0.574
		487	0.014
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.		495/1	0.601
		495/2	0.809
		497	0.405
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.		523	1.315
		516	0.173
		526	1.830
प्र. क्र. 55-अ.-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-9492.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—		528	2.525
		529	2.679
		546	0.350
		547	0.460
		548	0.519
		560	0.324
		565	0.200
		545/4	0.400
		545/1	1.150
(1) भूमि का वर्णन—		536	0.780
(क) जिला—बैतूल		538	0.050
(ख) तहसील—आमला		182	0.010
(ग) नगर/ग्राम—बाबरबोह		478/2	0.065
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—38		478/1	0.102
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—40.181 हेक्टर		474	0.017
		477	0.099
खसरा	रकबा	437	0.003
नम्बर	(हेक्टर में)	435	0.073
(1)	(2)	177/1	0.074
479	4.081	177/2	0.019
482	0.645	177/3	0.002
480	0.368	177/4	0.002
484	0.300	176	0.025
492	1.980	105	0.020
481	0.223	109	0.056

(1)	(2)	(1)	(2)
110	0.091	156/2	0.013
8	0.009	103	0.094
46	0.015	106/1	0.016
48	0.074	106/2	0.017
53	0.030	104/1	0.022
59/1	0.013	83	0.030
59/2	0.015	88	0.031
59/3	0.013	82/5	0.028
42	0.031	84/3	0.074
32	0.008	84/2	0.145
40	0.027	47	0.008
30	0.010	60	0.031
31	0.033	50	0.045
12/1	0.013	550/1	0.560
58	0.022	550/2	0.380
486/1	0.070	550/3	0.030
494/3	1.310	550/5	0.050
496	1.578	550/6	0.050
525	0.174	35/1	0.111
517/1	0.090	549/3	0.303
530	0.340	549/2	0.202
532/1	0.800	549/1	0.987
532/2	0.415	175/2	0.007
561	0.510	154/5	0.057
537/2	0.050		योग : <u>40.181</u>
522	0.688		
524	3.092	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—बाबरबोह जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
175/1	0.074	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
173	0.031	(4)	भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
144/5	0.013		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
145/3	0.040		
146/2	0.043		
107	0.056		
147/1	0.055		
147/2	0.018		
147/3	0.019		
150/2	0.056		
151/2	0.005		

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2012

फा. क्र. 1-5-96-3370-2012-इक्कीस-ब(एक).—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-5-96-3108-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन अन्वेषण किये गए मामलों के विचारण के लिये, नीचे विनिर्दिष्ट किये गए राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, जिनका मुख्यालय भोपाल होगा, अर्थात् :—

राजस्व जिले

(1) भोपाल, (2) सीहोर, (3) रायसेन, (4) मुरैना, (5) टीकमगढ़, (6) विदिशा, (7) बैतूल, (8) होशंगाबाद, (9) राजगढ़ (ब्यावरा), (10) हरदा, (11) श्योपुर.

2. यह अधिसूचना 30 अक्टूबर, 2012 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

F. No. 1-5-96-3370-2012-XXI-B (One).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) and in supersession of this Department's Notification F. No. 1-5-96-3108-XXI-B (One), dated 30th October, 2012, the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints Shri Manoj Kumar Shrivastava, IInd Additional Sessions Judge, Bhopal as a Special Judge with Head Quarter at Bhopal for the areas comprising of the revenue districts specified below to try the cases in regard to the offences specified in clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 3 of the said Act investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946), by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation, namely :—

Revenue Districts

(1) Bhopal, (2) Sehore, (3) Raisen, (4) Morena, (5) Tikamgarh, (6) Vidisha, (7) Betul, (8) Hoshangabad, (9) Rajgarh (Bioara), (10) Harda, (11) Sheopur.

2. This notification shall be deemed to have come into force from 30th October, 2012.

क्र. फा. 3(बी)6-2011-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन के आदेश क्रमांक 3(बी)6-2011-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 31 अगस्त 2012 के द्वारा व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर श्री मोहित मिश्रा पिता श्री एच.सी. मिश्रा (मेरिट क्र. 1) को नियुक्त किया जाकर उक्त आदेश (पृष्ठांकन) की कंडिका 3(1) के द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि वह मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय द्वारा पदस्थापना आदेश जारी किये जाने के पश्चात् निर्धारित कालावधि में पदभार ग्रहण करें अन्यथा उनका नियुक्ति आदेश स्वतः प्रभावहीन होगा.

श्री मोहित मिश्रा के आवेदन तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मोहित मिश्रा ने हरियाणा न्यायिक सेवा में नियुक्ति पश्चात् पदभार ग्रहण करने के कारण मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) का पदभार ग्रहण करने में असमर्थता व्यक्त की है. अतः, राज्य शासन, एतद्द्वारा, नियुक्ति आदेश दिनांक 31 अगस्त 2012 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.